

## आम सूचना

यह आम सूचना जन साधारण के लिए स्त्रीच्युएल रीजेनरेशन मूवमेन्ट फाण्डेशन आफ इण्डिया (एस० आर० एम० फाउण्डेशन आफ इण्डिया) की भूमि स्थित ग्राम-मंगेली, पटवारी हल्का-30, जबलपुर म०प्र० तथा अमरकंटक, जिला-शहडोल (म०प्र०) में स्थित है के संबंध में प्रकाशित की जा रही है।

इस भूमि को जी० राम चन्द्र मोहन, पुत्र एन० जी० पिल्लई निवासी-124, अयप्पानगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) तथा रियाजुल लतीफ पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी-समता कॉलोनी, मगर पारा, चौक, बिलासपुर, (छत्तीसगढ़) के द्वारा अवैध पावर आफ एटार्नी के माध्यम से अवैध रूप से विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इन व्यक्तियों का हमारी संस्था से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उपरोक्त भूमि को विक्रय किये जाने का निर्णय भी हमारी संस्था द्वारा नहीं लिया गया है। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा कम्पनी द्वारा हमारे संस्था की उपरोक्त भूमि क्रय की जाती है तो वह व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनी स्वयं इस कृत्य के लिए जिम्मेदार होगा।

यह उल्लेखनीय है कि जी० रामचन्द्र मोहन के द्वारा पूर्व में भी हमारे संस्था की भूमि को अवैध रूप से बेंचने का प्रयास किया गया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् यह व्यक्ति कई माह तक कारावास में भी रहा है।

अतः यह आम सूचना जनसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है।

संजय चौबे  
अधिवक्ता  
जबलपुर उच्च न्यायालय  
जबलपुर (म०प्र०)  
मो०-९४ २५८ ६१ ९२७  
७० ००४ ३७ ५१७

अजय प्रकाश श्रीवास्तव  
महासचिव  
पंजीकृत कार्यालय-121, प्रथम तल,  
डी.एल.एफ गलेरिया,  
मयूर विहार, फेस-1,  
दिल्ली-११० ०९१  
मो०- ९८ १८६ ३४ ७१७